न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 26/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हर नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम हाजीपुर तहसील अलवर हाल निवासी मकान संख्या 3/388 राज0 आवासन मण्डल कालोनी काला कुआं अलवर जिला अलवर

.....वादी अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, अलवर
2. तहसीलदार साहब तहसील व जिला अलवर

.....प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री के.जी.खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गणपत सिंह नरूका राजकीय अभिभाषक।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प हाजीपुर के निर्णय दिनांक 28.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट भूमिहीन होने के कारण सन 1975 में साबिक खसरा नंबर 325 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 285 रकबा 0.59 है. है, वाके ग्राम हाजीपुर का आवंटन किया गया है तथा कब्जा वादी को दिया जा चुका है। वक्त आवंटन से आज तक वादी विवादित आराजी पर गैर खातेदार चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारीगण की लापरवाही के कारण सहबन से कागजात माल में पूर्व की भांति सिवायचक लगानी दर्ज की जाती रही है जो खिलाफ कानून खिलाफ मौका होने के कारण कलमजन किये जाने योग्य है और वादी का नाम खातेदार दर्ज किये जाने योग्य है। कथित इन्द्राजात सिवायचक लगानी के आधार पर तहसीलदार अलवर ने धारा 92 के तहत सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जिस पर जिला कलेक्टर अलवर ने अपने आदेश क्रमांक 201 दिनांक 07.01.08 द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित कर दी एवं इंतकाल संख्या 619 दिनांक 07.07.08 द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित मानते हुये तस्दीक कर दिया। उक्त इन्तकाल वादी के खिलाफ बातिल, बेअसर व निष्प्रभावी है। वादी का मौके पर सन 1975 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान समय में भी वादी का कब्जा है। अतः बंदोबस्त हाल व उसके बाद की कायम सुदा जमाबंदी आदि जिसमें विवादित आराजी को बतौर सिवायचक लगानी दर्ज किया है, को कलमजन फरमाते हुये वादी का नाम

बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में चाहा गया। अधीनस्थ अदालत द्वारा वाद कैम्प कोर्ट हाजीपुर में दिनांक 24.05.2017 को खारिज फरमा दिया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।ऐस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया।तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि दिनांक 24.05.2017 को मिन अपीलांट कैम्प कोर्ट हाजीपुर में हाजिर हुआ एवं मिन अपीलांट ने आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण निस्तारण करने से मना कर दिया जिसकी बाबत आर्डर शीट पर मिन वादी के हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने यह जाहिर किया कि नियमित न्यायालय में पेशी के लिये नोटिस जारी कर दिये जावेंगे, जिस पर मिन वादी वापिस आ गया किन्तु उसके बाद आज तक कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय से मिन वादी के नाम जारी नही किया गया। जिस पर मिन वादी स्वयं ने तहत न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को हाजिर होकर अपने वाद के बारे में जानकारी की तो मिन अपीलांट को सर्वप्रथम यह पता चला कि माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 28.05.2017 को राजस्व कैम्प हाजीपुर में एकतरफा में करते हुये वाद वादी बेजा व खिलाफ कानून खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय राजस्व कैम्प अदालत में मैरिटस के आधार पर सादिर फरमाते हुये वाद वादी खारिज फरमाया है, कानूनन राजस्व कैम्प कोर्ट में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी समझाईश से व आपसी राजीनामा से हो सकता हो, मिन वादी ने मौजूदा प्रकरण का निस्तारण आपसी राजीनामा के आधार पर किये जाने से दिनांक 24.05.2017 को ही इन्कार कर दिया था किन्तु उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण कैम्प कोर्ट में सादिर फरमाया है जो कानूनन गलत है।अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा प्रकरण के निस्तारण में ना तो वादी के द्वारा प्रस्तुत कर्दा दस्तावेज का कोई जिक्र किया और ना ही उनको अपने निर्णय में डिस्कस किया है। जिससे वादी अपीलांट का केस गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात से यह तथ्य बखूबी साबित पाया जाता है कि विवादित आराजी मिन अपीलांट की आवंटनशुदा आराजी थी जो मिन वादी को भूमि हीन काश्तकार पेशा होने व अनुसूचित जन जाति का सदस्य होने के कारण सन 1975 में आवंटित की गई थी और जिसका कब्जा भी उसी समय मिन अपीलांट को दे दिया गया जिस पर तभी से मिन अपीलांट वादी का कब्जा बतौर गैरखातेदार के चला आ रहा है एवं कागजात माल में मिन अपीलांट के नाम का अंकन बतौर गैर खातेदार के दर्ज कर दिया गया एवं कानूनन दस साल समाप्त होने के बाद बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मिन वादी अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया व मिन वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। तहसीलदार अलवर ने बिना किसी हक व अधिकार के व बिना किसी उचित कारण के विवादित आराजी की बाबत धारा 92 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव माननीय जिलाधीश महोदय अलवर को भिजवा दिया एवं माननीय कलेक्टर अलवर ने बिना मिन वादी को सुनवाई का मौका दिये हुये विवादित आराजी को धारा 92 के तहत सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित

किये जाने का आदेश सादिर फरमाते हुये इंतकाल के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज फरमा दिया। उपरोक्त सभी बिंदुओं का निर्णय साक्ष्य के आधार पर मैरिटस पर किया जा सकता था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प के दौरान सरसरी तौर पर निर्णय पारित ककर वाद वादी खारिज कर दिया जो गलत है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण मैरिटस पर पारित किया है जिस कारण पर्चा डिक्री बनाया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कैम्प हाजीपुर दिनांक 28.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

जबाव बहस में सरकार पैरोकार का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 285 रकबा 0.59 है. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित की गई है। जिसका इंतकाल संख्या 619 दर्ज हो चुका है। आराजी राज्य सरकार के पक्ष में आरक्षित की जा चुकी है। विवादित आराजी आरक्षित भूमि की श्रेणी में है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।बहस पर मनन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत कैम्प कोर्ट हाजीपुर में किया है। कैम्प कोर्ट में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी समझाईश और आपसी राजीनामे/समझौते से किये जा सकते हों।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक बिंदुओं की रचना कर, साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में पारित निर्णय पक्षकारान की सहमति/आपसी समझौते से नही किया गया है। पत्रावली पर इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिस पर रेस्पो0 की सहमति के हस्ताक्षर अंकित हों।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प कोर्ट हाजीपुर के निर्णय दिनांक 28.05.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहत अदालत में इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवाद्यक बिंदुओं की रचना करते हुये, साक्ष्य के आधार पर, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये पुनः विधिवत अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.04.2020 को तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर में उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 20.2.2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर